सं.ए-45011/3/2022-प्रशासन III

भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को मई, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधुरी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 23095091

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आ.का.) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (डीआईपीएएम) के प्रधान निजी सचिव।
11. श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार (वित्त।
14. श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग।
15. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग
16. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष। वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (सी एंड सी/एफएसएलआर/एफएस एंड सीएस)/जेएस (सी एंड सी और ओएमआई))/जेएस (बजट)/जेएस (आईपीपी/जेएस (आईएसडी)/जेएस (इनवेस्ट)/सभी सलाहकार/सीएएए
17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फाइल - 2022

सं.ए-45011/3/2022-प्रशा.III

वित्त मत्रांलय

आर्थिक कार्य विभाग

***

विषय: मई, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश

I. महीने के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

बृहत आर्थिक अवलोकन:

31 मई, 2022 को जारी सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान में वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 8.7 प्रतिशत पर रखा है। यह महामारी से पूर्व वर्ष 2019-20 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से 1.5 प्रतिशत अधिक है, जो भारत के पूर्ण आर्थिक सुधार को स्थापित करती है।

भारत के साथ-साथ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति महामारी प्रेरित मांग प्रोत्साहन और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आपूर्ति-पक्ष के झटकों से उत्पन्न हुई है। उच्च मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, आरबीआई सहित सभी देशों के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक सख्ती का सहारा लिया है। इसने दुनिया भर की वैश्विक एजेंसियों को अलग-अलग देशों के विकास पूर्वानुमानों को नीचे की ओर संशोधित करने के लिए प्रेरित किया है। वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को भी संशोधित करके कम किया गया है, लेकिन अधिकांश एजेंसियां अभी भी इसे 7 प्रतिशत से ऊपर रखती हैं, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

भारत में उच्च मुद्रास्फीति मुख्य रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति-पक्ष के झटके के कारण है और ग्रीष्म माह की गर्मी की लहर की शुरुआत ने भी खाद्य कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया है। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में 7.79 प्रतिशत से घटकर मई में 7.04 प्रतिशत हो गई है, साथ ही खाद्य मुद्रास्फीति भी दो महीनों के बीच 8.31 प्रतिशत से गिरकर 7.97 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल में 15.08 प्रतिशत से बढ़कर मई में 15.88 प्रतिशत हो गई है और इसमे कुछ वृद्धि भी हो सकती है, जिससे आने वाले महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति का संकट गहरा प्रतीत होता है क्योंकि उनके केंद्रीय बैंक इसका और अधिक आक्रामक तरीके से समाधान करते हैं। इसलिए भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी की वृद्धि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करने वाले एक प्रशंसनीय परिदृश्य के रूप में उभरता है। यह उस समय होगा जब महंगे आयात के कारण चालू खाता घाटा बढ़ने के साथ विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता बढ़ रही है। इससे रुपये पर और दबाव पड़ेगा जो एक डॉलर के लिए लगभग 78 रुपये है। एक मूल्यह्रास विनिमय दर और चालू खाता घाटा बृहत अर्थव्यवस्था स्थिरता को प्रभावित करने के लिए एक-दूसरे को प्रभावित कर सकती है।

इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सरकार का राजकोषीय घाटा समाहित है और इसे वर्ष 2021-22 के बजट में निर्धारित राजकोषीय पथ से अलग नहीं होना चाहिए, जिसे वृद्धि का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त कैपेक्स प्रावधान के साथ बनाया गया है। हालांकि, डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ है, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करना एक चुनौती होगी। सब्सिडी को अधिक सख्ती से और लक्षित तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार भारत के सामने निकट भविष्य में अपने राजकोषीय घाटे का प्रबंधन, आर्थिक विकास को बनाए रखना, मुद्रास्फीति को कम करना और भारतीय मुद्रा के उचित मूल्य को बनाए रखते हुए चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने की चुनौतियां हैं। हालाँकि, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भारत

अपने वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और टीकाकरण की सफलता के कारण इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

अपने वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और टीकाकरण की सफलता के कारण इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(i) नई गारंटी नीति और गारंटी पोर्टल शुरू किए गए।

(ii) रणनीतिक योजना समूह की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सिक्कों और बैंक नोटों की मांग को मंजूरी दी गई थी।

(iii) आईआईएम बैंगलोर में पूंजी संरचना निर्णय और परियोजना वित्तपोषण पर अवसंरचना क्षेत्र में एक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(iv) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित समझौतों/ऋणों पर हस्ताक्षर किए गए:

क. त्रिपुरा में औद्योगिक संपदाओं के परियोजना तत्परता वित्तपोषण (पीआरएफ) अवसंरचना के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 2 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण।

ख. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) को एमएसएमई कार्यक्रमों को उभारने और उन में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण।

ग. ग्रामीण उद्यम त्वरण परियोजना (आरईए) के लिए 10.5 करोड़ रुपये के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के साथ ऋण समझौता।

घ. "मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल निर्माण परियोजना" के लिए जापान सरकार के साथ 100 बिलियन जापानी येन (लगभग 6,536 करोड़ रुपये) की ऋण राशि के लिए ऋण समझौता।

(v) निम्नलिखित ऋण समझौतों पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ बातचीत की गई थी:

क. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की क्षमता निर्माण के लिए विश्व बैंक (अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक-आईबीआरडी) के साथ 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि के साथ भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को महामारी की तैयारी (पीपीआर-11592) के लिए बदलने हेतु वन हेल्थ, रोगाणु रोधी प्रतिरोध (एएमआर) नियंत्रण और मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने जैसी अपनी प्राथमिकता वाली गतिविधियों का विस्तार करने के लिए ऋण समझौता।

ख. ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक (जीआरपीवी) की स्थापित क्षमता बढ़ाने और जीआरपीवी के लिए संबंधित संस्थानों की क्षमता को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक (आईबीआरडी) के साथ 165 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि के साथ आवासीय क्षेत्र (पीपीआर-10155) में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के लिए ऋण समझौता।

ग. अधिकारों के लिए ऋण समझौता: तमिलनाडु में दिव्यांगजनों के लिए समावेशन, पहुंच और अवसरों (पीपीआर-11167), दिव्यांगजनों के लिए समावेशन, पहुंच और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु राज्य की सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और क्षमता को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक (आईबीआरडी) के साथ 162 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण समझौता।

घ. अभिबृद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने, देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विश्व बैंक (आईबीआरडी) के साथ 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि के साथ भारत के उन्नत स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी (ईएचएसडी) कार्यक्रम (पीपीआर-11593) के लिए ऋण समझौता,

ङ. अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए ऋण समझौता - त्वरित शिक्षा के लिए गुजरात परिणाम (गोल) कार्यक्रम। (पीपीआर10813) गुजरात राज्य में बेहतर शिक्षा परिणामों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक (आईबीआरडी) के साथ 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि का समझौता।

(vi) आईएफएससीए, अधिनियम 2019 (2019 का 50) की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में, गिफ्ट-आईएफएससी क्षेत्र में वित्तीय सेवा के रूप में, विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थानों द्वारा वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को अधिसूचित किया गया था।

(vii) माननीय वित्त मंत्री ने इस महीने के दौरान निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:

(क) बर्लिन में माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में द्विवार्षिक 6 वां भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) और आईजीसी से पहले और बाद में जर्मन मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

(ख) माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एनडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की 7 वीं वार्षिक बैठक जिसमें बीओजी ने अन्य बातों के साथ-साथ, 2021 के लिए एनडीबी के वार्षिक वित्तीय खातों और एनडीबी की सामान्य रणनीति: 2022 2026, और एनडीबी की सदस्यता विस्तार को मंजूरी दी गई।

(ix) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं या भाग लिया।

(क) अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की 40 वीं बैठक "सस्ती स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव ओड़िशा सरकार" को सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वीजीएफ योजना की उप-योजना -II के तहत "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान करना।

(ख) सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की 108वीं बैठक में परियोजना प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए "पीपीपी मोड पर डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (डीबीएफओओ) के आधार पर 66 स्थानों पर हब एंड स्पोक मॉडल के तहत स्टील साईयोज के विकास" के लिए परियोजना "अंतिम-अनुमोदन" के लिए सक्षम प्राधिकारी प्रस्तुत करने की सिफारिश के समक्ष करना।

(ग) एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के निदेशक मंडल की बैठक एआईआईबी के संकट प्रतिक्रिया और निवेश कार्यों पर विचार करने के लिए।

(घ) न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) निदेशक मंडल की बैठक एनडीबी पर वित्तीय बाजारों में हाल के विकास के प्रभाव और निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए, एनडीबी की सदस्यता विस्तार, एनडीबी के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की कार्य योजना, बोर्ड की सातवीं वार्षिक बैठक, एनडीबी के गवर्नर और 2022-2026 के लिए सामान्य रणनीति।

(ङ) नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड की बोर्ड बैठक।

(च) विदेशी निवेश संवर्धन और संरक्षण करार/द्विपक्षीय निवेश संधि (एफआईपीए/बीआईटी) पर सभी बकाया मुद्दों पर भारत और कनाडा के बीच चर्चा।

(छ) भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापक द्विपक्षीय निवेश समझौते के लिए ताइवान के अनुरोध पर चर्चा।

(ज) भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर 10वें और 11वें दौर की बातचीत।

(झ) एशिया को प्रभावित करने वाली कमजोरियों और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्षेत्रीय सलाहकार समूह की बैठक।

(ञ) मानक कार्यान्वयन पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक, 2022 में जी20 को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और सुधार प्रभावशीलता के विश्लेषण का समर्थन करने के लिए एक नए समूह का निर्माण।

(ट) वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के तहत प्रारंभिक चेतावनी समूह की 29वीं बैठक, वैश्विक विकास में कमी, उच्च वस्तु कीमतों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) से फैलने पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयां प्रमुख हित चिंताएं हैं।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी के निर्देशों/आदेशों का पालन न करना

शून्य

5. माह के दौरान स्वीकृत एफडीआई प्रस्तावों का ब्यौरा और विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	: 02
विभाग में प्रतीक्षित अनुमोदन	: 06